



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-01112025-267296
CG-AS-E-01112025-267296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4789]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/कार्तिक 8, 1947

No. 4789]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/KARTIKA 8, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगांव, 8 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4944(अ).—रेलवे अधिनियम, १९८९ (२४ ऑफ १९८९) की धारा २ की उपधारा (३७ A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस नोटिफिकेशन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होने के साथ, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (२) में उल्लिखित निम्नलिखित परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना के रूप में, तालिका के कॉलम (३) में उल्लिखित राज्य / देश में अधिसूचित किया जाता है :

तालिका

विशेष रेलवे परियोजना

क्रम संख्या	विशेष रेलवे परियोजना का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/देश
(१)	(२)	(३)
१	बानरहाट (भारत)- समत्से (भूटान) (१९.५५ किलोमीटर) नई लाइन	पश्चिम बंगाल (भारत), भूटान

[फा. सं. W/207/CON/Banarhat-Samtse/APDJ]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/III

MINISTRY OF RAILWAYS**[North East Frontier Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Maligaon, the 8th October, 2025

S.O. 4944(E).—In exercise of the power conferred by clause (37A) of Section 2 of the railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table below in the state/Country mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official gazette:

TABLE**Special Railway Project**

Sl. No.	Name of the Special Railway Project	State/UT/Country
(1)	(2)	(3)
1	Banarhat (India)- Samtse (Bhutan) (19.55 KM) New Line	West Bengal (India), Bhutan

[F. No. W/207/CON/Banarhat-Samtse/APDJ]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)/III